International Journal of Sociology and Political Science
www.sociologyjournal.in
Online ISSN: 2664-7745, Print ISSN: 2664-7737
Received: 01-05-2022, Accepted: 15-05-2022, Published: 01-06-2022
Volume 4, Issue 1, 2022, Page No. 50-53

अम्बेडकर का राष्ट्रवादी दृष्टिकोणः एक विश्लेषण

धर्मेन्द्र चौधरी
सहायक आचार्य, हरि दयालु कौशल महाविद्यालय बाड़मेर, राजस्थान, भारत

सारांश
राष्ट्र, राष्ट्रीयता और राष्ट्रवाद के संबंध में डॉ. भीमराव अम्बेडकर के विचारों की चर्चा अकादमिक गोष्टियों एवं अधिवेशनों में बहुत ही कम देखने व सुनने को मिलती है। भारत के वामपंथी एवं दक्षिणपंथी यहां तक की दलित चिंतकों एवं अम्बेडकरवादी विचारकों में भी डॉ. अम्बेडकर के इन विचारों के प्रति उदासीनता देखने को मिलती है। वर्तमान समय में इन बिन्दुओं पर अध्ययन और भी महत्त्वपूर्ण हो जाता है जब बदलते राजनीतिक परिदृश्य में विभिन्न राजनीतिक धाराओं द्वारा उन्हें अपनाने की प्रतियोगिता चल रही है। इस शोध पत्र में अम्बेडकर के राष्ट्रवादी चिंतन का ऐतिहासिक एव विश्लेषणात्मक अध्ययन किया गया है। यह सत्य है कि उन्होनें भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन की मुख्य धारा से सहभागिता नहीं की और न ही उसका कभी भी समर्थन ही किया, परन्तु उनके द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से जो सामाजिक आधारशिला रखी गयी वह आज भी भारतीय राष्ट्रवाद के विकास में महत्वपूर्ण है।

मूल शब्दः राष्ट्रवाद, दलित चिंतन, अखण्ड भारत, संस्कृति, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन

प्रस्तावना
डॉ. भीमराव रामजी अम्बेडकर (1891-1956) की पहचान भारतीय संविधान के निर्माता और दलित के मसीहा के रूप में होती है। भारतीय समाज में व्याप्त विसंगतियों से दुःखी होकर उन्होनें ब्रिटिश शासन के खिलाफ होने वाले राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से न केवल दूरी बना ली बल्कि कई अवसरों पर उसका विरोध और ब्रिटिश नीतियों का समर्थन भी किया। ऐसे समय में जबकि सम्पूर्ण राष्ट्र मातृभूमि की स्वतंत्रता हेतु तत्पर था, उस समय अम्बेडकर का यह दृष्टिकोण उन्हें और उनकी राष्ट्र भक्ति दोनों को सवालों के घेरे में ला खड़ा करता है।
सामान्य अर्थों में राष्ट्रवाद, राष्ट्र को आधार मान कर चिन्तन और क्रिया करना है। जब किसी देश के निवासी अपने देश की भूमि और उससे जुड़े सांस्कृतिक तथ्यों को सर्वश्रेष्ठ मानकर अथवा उनके प्रति अगाध श्रद्धा रखते हुए अपने विचारों, भावनाओं और क्रियाओं का समन्वय करते हैं तो वे राष्ट्रवादी कहे जाते हैं। इस प्रकार के राष्ट्रवादी व्यवहार को प्रेरित करने वाली भावनात्मक शक्ति को राष्ट्रवाद कहा जाता है। सरल शब्दों में अपने राष्ट्र के प्रति अटूट प्रेम ही राष्ट्रवाद है। डॉ. भीमराव अम्बेडकर अपने सामाजिक अनुभवों के कारण भारतीय सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था से बहुत खिन्न थे, जिसके कारण भारतीय सामाजिक एवं सांस्कृतिक तथ्यों के प्रति उनके मन में उतनी श्रद्धा विकसित नहीं हो पाई। परन्तु भारत भूमि के प्रति उनका लगाव निष्कपट और अटूट था। आने वाली पीढ़ियों के लिए भारतीय समाज और राजनीति की पुनर्रचना का जो ढाँचा उन्होनें तैयार किया, उसने भारतीय राष्ट्रवाद के विकास में महत्त्वपूर्ण योगदान प्रदान किया है।

अम्बेडकर के राष्ट्रवादी चिंतन का आधार
डॉ. अम्बेडकर के ऊपर भले ही यह आरोप लगाए जाए कि उन्होनें अंग्रेजी शासन के खिलापफ राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में भाग नहीं लिया, परन्तु केवल इसी आधार पर उनके राष्ट्रीवादी भावनाओं को नकार देना उचित नहीं होगा। जातिवाद का अन्त, समतापूर्ण समाज का निर्माण, महिला शिक्षा एवं सशक्तिकरण, लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना, परम्परागत धार्मिक मूल्यों की जगह आधुनिक विचार को महत्व, सशक्त केन्द्रिय सरकार आदि विचार अम्बेडकर के राष्ट्रवादी चिंतन का आधार है। अम्बेडकर की राष्ट्रवादी अवधारणा उनकों अपनी परिस्थितियों एवं अनुभवों की उपज थी। तत्कालीन भारतीय समाज के सबसे अंतिम और अस्पृश्य एवं गरीब परिवार में जन्म लेने के कारण उन्होंने जिन सामाजिक और आर्थिक कठिनाइयों का सामना किया उससे उनकी प्राथमिकताएं बहुत हद तक प्रभावित हुई। शायद यही कारण था कि उन्होंने राजनीतिक लोकतंत्र की जगह सामाजिक लोकतंत्र को प्राथमिकता देते थे। उनका स्पष्ट मानना था कि सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना के बिना सच्चे लोकतंत्र की कामना करना बेमानी होगी। यहां हमें यह ध्यान रखना होगा कि अम्बेडकर की प्राथमिकताए भले ही भिन्न हो परंतु उनका अतिम ध्येय एक सच्चे, सशक्त एवं आधुनिक राष्ट्र का निर्माण ही था।

राष्ट्रीय स्वत्तंत्रता आदोलन के प्रति दृष्टिकोण
डां. अम्बेडकर का क्राग्रेस के नेतृत्व में चलने वाले राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रति अविश्वास का भाव था इसी कारण उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के समय कई बार महात्मा गांधी और कांग्रेस की खुलकर आलोचना की। परंतु इसका अर्थ यह कदापि नहीं कि वे भारतीय स्वतंत्रता के पक्षधर नही थे उनका मानना था कि आज की स्वतंत्रता के साथ–साथ अछूतों की समस्या का भी समाधान होना चाहिये।

1928 में ब्रिटिश सरकार ने कानूनों और राजनीतिक सुधारो के निरीरक्षण के लिए, सर जान सायमन के नेतृत्व में एक छः सदस्यीय आयोग भारत भेजा। इस आयोग में एक भी भारतीय सदस्य न होने के कारण कांग्रेस सहित अन्य बहुतेरे राजनीतिक दलों ने इस कमीशन का विरोध किया। परंतु अम्बेडकर इससे विरुध रहे। उनका मानना था कि केवल इस प्रकार के बहिष्कार मात्र से समस्या हल नहीं होने वाली। डॉ. अम्बेडकर ने कमीशन को सहयोग देकर अपने सहकार्य द्वारा अन्य राजनैतिक नेताओं का रोष स्वीकार किया। जब सायमन रिपोर्ट तैयार हो गयी तो उन्होंने न केवल उस पर हस्ताक्षर किए बल्कि अलग से एक मतपत्रिका भी संलग्न की।

यद्यपि अम्बेडकर ने सायमन कमीशन का सहयोग किया, परतु सायमन कमीशन के विरोध में पंजाब केशरी देश–भक्त लाला लाजपत राय पर हुए लाठी चार्ज के फलस्वरूप उनकी मृत्यु के पश्चात अम्बेडकर ने मुम्बई में शोक सभा का आयोजन कर उस महान आत्मा को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की ।

सामाजिक विषमता बनाम राष्ट्रवाद

अम्बेडकर की दृष्टि में राष्ट्रवाद सामाजिक आत्मसात्मीकरण की एक प्रक्रिया है, और यदि इस अर्थ में राष्ट्रवाद को लिया जाएगा तो सामाजिक भाईचारा को बल मिलेगा जिसक फलस्वरुप भारतीय राष्ट्रवाद के सच्चे स्वरूप को और विकसित किया जा सकेगा। उन्होंने आजीवन जातिवाद, भाषावाद, साम्प्रदायिकता और अलगाववाद के विरुद्ध लड़ाई पर बल दिया, क्योंकि उनका मानना था कि ये सामाजिक बुराईयां लोगों को छोट–छोटे टुकड़ों में बांटती। जो राष्ट्रवाद के आदर्शों के विपरीत हैं। सामान्यतया राष्ट्रवाद का सम्बंध राष्ट्र और राष्ट्रीयता से और देश–भक्ति का संबंध मातृभूमि या जन्मभूमि से है, जबकि अम्बेडकर के लिए देश–भक्ति और राष्ट्रवाद, लोकतंत्र तथा समानता की उत्कृष्ट आकांक्षा है। उनका मानना था कि सच्ची देश–भक्ति सही दिशा में क्रिया और सभी गलत चीजो के प्रति प्रतिक्रिया है और राष्ट्रवादी नेताओं को भारतीय समाज से जातिवाद, साम्प्रदायिकता, बलात श्रम आदि का उखाड़ फेकना चाहिए।

अपनी व्यक्तिगत भूमिका को समझाते हुए उन्होंने कहा जब जब मेरे व्यक्तिगत हित और देशहित आपस में टकराए है तब तक मैन देशहित को ही प्रधानता दी है। लेकिन में अपने समाज के प्रति निष्ठा से भी जुड़ा हूँ। उनका स्पष्ट मत था कि उनका आंदोलन किसी विशेष जाति के लिए नहीं है। उन्होंने कहा कि जब तक राजनीतिक, सामाजिक आर्थिक विषमता का अंत नहीं कर लूंगा चैन से नहीं बैठूंगा। लोकतंत्र के स्थायित्व के लिए आवश्यक है कि जाति विहीन व वर्गविहीन समाज की स्थापना हो। यह यर्थाथ है कि विषमता विद्वेष की जननी हैए और विद्वेष, विध्वंश को जन्म देता है। ऐसे हालात में जहा विषमता पनपती हो वहां राष्ट्र और राष्ट्रीयता के भाव का उदय सम्भव नहीं है। इस प्रकार डॉ. अम्बेडकर ने भारतीय राष्ट्रवाद के उनन्नयन के उददेशय से इस विषमता पर व्यापक प्रहार किया।

वे केवल भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में बसे भारतीयों के साथ होने वाले भेदभावों के प्रति भी चिंतित रहते थे। दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों को रंगभेद की नीति कारण बहुत परेशानी होती है, इसलिए उस सरकार की आर्थिक नाकेबंदी की जानी चाहिए, एक भारतीय सदस्य ने ऐसा प्रस्ताव पेश किया। सभी यूरोपियन सदस्यों ने विरोध किया लेकिन अम्बेडकर ने कड़े रुख साथ कहा कि–यह भारतीयों के स्वाभिमान का प्रश्न है। अम्बेडकर की मध्यस्थता के कारण ही काउंसिल ने यह बिल मंजूर किया था।

भाषा का प्रश्न

राष्ट्रवाद के आदर्श स्वरुप में केवल एक भाषा के प्रचलन को उपयुक्त माना जाता है। 19वीं सदी में जर्मनी और इटली जैसे यूरोपीय देशों के अंदर एकता स्थापित करने वाले राष्ट्रीय आंदोलनों में समूह की एक भाषा होना का एक प्रमुख कारक था। परंतु स्विटजरलैण्ड का उदाहरण जहां कई भाषा–भाषी समूह रहते है, राष्ट्रवाद और भाषा के प्रश्न पर एक अलग प्रतिमान स्थापित करता है। जिससे स्पष्ट होता है कि एक भाषा का होना राष्ट्रवाद की अनिवार्य शर्त नहीं है। वस्तुस्थिति यह है कि एक भाषा––भाषी समुदाय कहीं पर राष्ट्र निर्माण का आधार रहा है, तो कही राष्ट्रीयता का परिणाम। लैटिन अमेरिका का उदाहरण ले तो वहां कई विरोधी राष्ट्रों की एक ही भाषा है।

राष्ट्रवाद और भाषा के प्रश्न पर अम्बेडकर का एक अलग दृष्टिकोण था। एक देश में कई भाषाओं के प्रचलन के अवगुणों को देखते हुए, अम्बेडकर ने कनाडा, स्विटजरलैण्ड और दक्षिण अफ्रीका का उदाहरण देते हुए विचार दिया कि विभिन्न भाषाएं राष्ट्रवादी चेतना एवं विकास में बाधक नहीं बननी चाहिए। इसके साथ ही वे भारतीय राष्ट्रवाद तथा एकता और राष्ट्रीय चेतना में वृद्धि एवं सांस्कृतिक व जातीय संघर्ष निवारण हेतु एक सामान्य भाषा की बात करते थे। उनका मत था कि एक सामान्य भाषा न होने से लोग अपनी भावनाओं और विचारों को आपस में साझा नही कर पाते हैं, जिससे मतभेद और बढते हैं जो कालान्तर में संघर्षो को जन्म देते है। एक भाषा होने से न केवल राष्ट्र के अन्दर मानवीय एकता को बल प्रदान होगा, बल्कि प्रजातीय एवं सांस्कृतिक तनाव भी दूर होंगे।

जब भारत सरकार ने भाषा पर आधारित प्रदेश निर्माण पर विचार करने के लिए एक मंडल (धर समिति) की स्थापना की। अम्बेडकर ने भी इस समिति के समक्ष महाराष्ट्र में एक निवेदन प्रस्तुत किया। इसमें उन्होंने कहा कि प्रजातंत्र के लिए भाषा पर आधारित प्रदेश रचना आवश्यक है, लेकिन प्रादेशिक भाषा को प्रदेश रचना का आधार नहीं बनने देना चाहिए। नहीं तो प्रादेशिक राष्ट्रवाद पैदा होने की संभावना है जो राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा है।

भारत विभाजन का प्रश्न

जब पाकिस्तान की मांग सारे भारत में जड़ पकड़ रही थी। उस विषय पर 1940 में सर्वागीण विचार रखने वाला ग्रन्थ ''थॉट्स ऑन पाकिस्तान'' सर्वप्रथम उन्होंने लिखा। इसमें उन्होंने सिद्धान्त प्रस्तुत किया कि भारत के हिन्दुओं को शाति से जीने के लिए भारत के हिन्दुस्तान और पाकिस्तान दो भाग कर दिये जाने चाहिए। उनका मानना था कि हिंदुओं को मन में यह डर नहीं रखना चाहिए कि पड़ोस के मुस्लिम राष्ट्र हम पर धावा बोल देंगे, क्योकि वर्तमान युद्धतंत्र के कारण देश की भौगोलिक सीमा का आज की दुनिया में कोई महत्व नहीं है। सुरक्षित सीमा की अपेक्षा भारत के प्रति निष्ठा रखने वाली गैर मुसलमानों की फौज हिफाजत के लिहाज से ज्यादा अहम है। उन्होंने सुझाया कि पाकिस्तान बनाने से पहले पाकिस्तानी हिस्से के हिन्दू तथा हिन्दुस्तान के मुसलमानों की अदला बदली हो जानी चाहिए। अम्बेडकर का विश्वास था

कि केन्द्रीय शासन सशक्त करने के लिए भारत का विभाजन आवश्यक है। अन्यथा भारत की स्वाधीनता सदा ही संकट में रहेगी।

राष्ट्र की एकता और अखण्डता का विचार

अप्रैल, 1938 में विधानसभा में स्वतंत्र कर्नाटक प्रदेश का निर्माण करने वाले विधेयक पर चर्चा में भाग लेते हुए स्पष्ट शब्दों में कहा,–"इस स्वतंत्र प्रदेश की मांग के कारण राज्य में लिंगायत तथा अन्य सब निवासियों के बीच द्वेष पैदा हो जाएगा। अग्रेजी शासन की हमें महत्वपूर्ण भेंट यह है कि केंद्रीय शासन शक्तिशाली हो और सब लोगों के लिए एक ही कानून हो। हम सब भारतवासियों का यह ध्येय होना चाहिए कि इस भावना को हम हर व्यक्ति के मन में जागृत करें कि हम सब भारतीय हैं।" राज्य संघ योजना का विरोध करते हुए उन्होंने चेताया कि इसमें रियासतों के प्रतिनिधि अग्रेजों के एजेंट होंगे। वहां के निवासी केवल रियासती प्रजा रहेंगे। राज्यसंघ का उन पर कोई अधिकार नहीं होगा। यह एक खतरा है, इसलिए हमें केन्द्रीय शासन प्रणाली चाहिए।

13 दिसम्बर, 1946 को सविधान सभा के उद्देश्यों एवं ध्येय को स्पष्ट करने वाला प्रस्ताव रखा गया। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉ राजेन्द्र प्रसाद के आग्रह पर बोलते हुए अम्बेडकर ने कहा कि– आज हम भले ही राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से दूट गये हों फिर भी परिस्थिति और समय अनुकूल होते ही हमारी एकता का कोई रोक नहीं सकेगा। भले ही आज मुस्लिम लीग हिन्दुस्तान के टुकड़े करने के लिए आंदोलन चला रही है, फिर भी एक ऐसा भी दिन उदित होगा जब वह भी महसूस करेंगी कि अखण्ड भारत ही हम सबके लिए हितकर है। अम्बेडकर के इस वक्तव्य के बाद क्राग्रेस का उनकी ओर देखने का दृष्टिकोण पूरी तरह बदल गया।

25 नवंबर, 1949 का संविधान सभा में एक चर्चा का उत्तर देते हुए अम्बेडकर ने कहा– यह संविधान अच्छा हो या बुरा, उसकी अच्छाई या बुराई उसका व्यवहार करने वालों पर अवलंबित होगी। इसके पूर्व भारत ने अपनी स्वाधीनता अपने ही लोगों के देशद्रोह के कारण गंवाई थी।

भारत के इतिहास से देशद्रोह के उदाहरण देते हुए उन्होंने उद्विग्नता के साथ कहा, हमें अपनी आजादी कायम रखने के लिए अपने खून की आखिरी बूंद तक पूरी लगन के साथ जुट जाना होगा।

फरवरी, 1928 में एक सर्वदलीय बैठक में स्वयं और किसी अन्य दलित संगठन के आमंत्रित नहीं किए जाने पर अपने विचार व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि इसमें दलित समाज के लिए किसी भी तरह की व्यवस्था नहीं की गयी है। इसके विपरीत मुसलमानों को जरूरत से ज्यादा सहुलियतें दी गयी है। नेहरू रिपोर्ट पर अपने प्रखर लेख में डॉ अम्बेडकर ने स्पष्ट रूप से लिखा– हम जानते है कि हमारी स्पष्टवादिता से मुसलमान समाज का रोष हम पर अधिक बढ़ने वाला है, फिर भी देश का जहां अकल्याण होगा उसी में हमारे समाज का भी अकल्याण है, इस भावना से ही हम वह खतरा अपने सिर ले रहे हैं। उस समय किसी ने अम्बेडकर की दूरदर्शिता की इस आवाज पर ध्यान नहीं दिया, परन्तु आगे चलकर इसी वजह से मुस्लिम लीग को मुम्बई प्रदेश से सिंध प्रांत अलग करवाने में सफलता मिली।

राष्ट्रीय हित एवं विदेश नीति

विदेश नीति के संचालन के प्रति अम्बेडकर के विचार उन्हे यथार्थवादियों के निकट ला खड़ा करता है। 1954 में एक बार उन्होंने कहा था कि– ''दूसरे विश्वयुद्ध में जर्मनी को चारों ओर से घेर लिया गया था। जल्द ही सारे मुस्लिम देशों का संयुक्त इस्लामी राष्ट्र बनने वाला है। आज हमारा एक भी मित्र नहीं है। इसलिए हमारे देश के लिए सशस्त्रीकरण के सिवा कोई और रास्ता नहीं है। हमें तुरंत तय कर लेना चाहिए कि हमारे लिए प्रजातंत्र हितकर है या कम्युनिज्म। फिर हमें उस गुट के राष्ट्रो के साथ मित्रता कर लेनी चाहिए।" इस प्रकार हम देखते है कि अम्बेडकर राष्ट्रीय हित की सुरक्षा के लिए न सिर्फ शस्त्रीकरण का समर्थन करते हैं बल्कि नेहरूवादी गुटनिरपेक्षता की नीति का भी खण्डन किया।

डॉ. अम्बेडकर ने 26 अगस्त, 1954 को राज्य सभा में विदेश नीति पर बोलते हुए रुस की अधिकारवादी नीति की कड़ी आलोचना की। उनका कहना था कि साम्यवाद फैलने वाले दावानल की समान है जो अंततः सब कुछ भस्म कर देता है। माओत्से तुंग ने बौद्धों के साथ जो व्यवहार किया उस पर आक्षेप करते हुए उन्होंने कहा कि राजनीति में पंचशील का कोई उपयोग नहीं है, कम से कम कम्युनिस्ट देशों में तो है ही नहीं। उनका मानना था कि सारा एशिया आज युद्ध का मैदान बना हुआ है। इसलिए भारत को तुरंत लोकतांत्रिक देशों से हाथ मिला लेना चाहिए। चीन के बारे में अम्बेडकर की भविष्यवाणी 1962 में भारत पर चीनी आक्रमण के रूप में सत्य साबित हुई ।

निष्कर्ष

उपर्युक्त विश्लेषणात्मक विवेचन के आधार पर हम कह सकते है कि डॉ. अम्बेडकर का संपूर्ण जीवन स्वरूप लोकतांत्रिक था। उन्होंने प्रजातंत्र को जीवन का मूल्य मानकर समाज को बदलने का प्रयास किया। भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप भारतीय राष्ट्रवाद की अवधारणा देने वाले अम्बेडकर इस तरह के एकमात्र विचारक है। उनके राष्ट्रवादी विचारों में सर्वप्रमुख उसके सामाजिक–सांस्कृतिक और राजनीतिक संकल्पना के बीच विभाजन रेखा खीचना था। उनकी दृष्टि में राष्ट्रवाद की संकल्पना राजनीतिक कम सामाजिक और सांस्कृतिक ज्यादा थी। जबकि महात्मा गांधी आदि विशेषकर हिन्द राष्ट्रवादी नेताओं का ज्यादा बल उसके राजनीतिक स्वरूप पर था। यह सत्य है कि अम्बेडकर ने कभी भी स्वतंत्रता आंदोलन में भाग नहीं लिया, बल्कि यदा कदा उसका विरोध ही किया, परन्तु यह भी सत्य है कि उनका यह विरोध लाखों बहिर्देशित भारतीयों की वास्तविक स्वतंत्रता का आधार बना। उनके विचारों में राष्ट्रवाद मातृभूमि की अंधभक्ति मात्र नहीं है। राष्ट्रीय स्वतंत्रता का उनका व्यापक दृष्टिकोण था। उनकी दृष्टि में केवल बाहरी शासन से आजादी एक अधूरी कल्पना है, सही मायने में दासता, गरीबी, निरक्षरता से मुक्ति हेतु प्रयास करना चाहिए। उनका मानना था किसी राष्ट्र की स्वतंत्रता और वहां के नागरिको की स्वतंत्रता के बीच अंतर नही किया जा सकता।

सदर्भ

1. Dr. Ambedkar, Writing and Speeches,1982:2:504.505.
2. डी आर जाटव (1998), राष्ट्रीय आदोलन में अम्बेडकर की भूमिका,समता साहित्य सदन, जयपुर पृ 98।
3. Dr. Ambedkar, Writing and Speeches,1982:2:313:416.

4. बही, पृ 245
5. डी आर जाटव (1998), राष्ट्रीय आदोलन में अम्बेडकर की भूमिका, समता साहित्य सदन, जयपुर पृ 98 ।
6. Durgadas India-From Curzon to Nehru and After, Collins St. James Palace London, 1969, 236.
7. बसंत मून (1991), डॉ. बाबा साहब अम्बेडकर, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास नई दिल्ली पृ0 135–136 द्वारा उद्धत डॉ. अम्बेडकर (1942) , थॉट्स आन पाकिस्तान।
8. बहीं, पृ. 438
9. बसंत मून (1991), डॉ. बाबा साहब अम्बेडकर, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, नई दिल्ली, पृ.422
10. बहीं, पृ. 175
11. बहीं, पृ. 186
12. बहीं, पृ. 51
13. बहीं, पृ. 199
14. बहीं, पृ. 200